सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कमजोर वर्ग के लिए कार्यान्वित

कल्याणकारी योजनाएं

योजना विभाग
चौथा और छठा तल, 'बी' विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली - 110002

दिसम्बर 2021

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कमजोर वर्ग के लिए कार्यान्वित

कल्याणकारी योजनाएं

योजना विभाग

चौथा और छठा तल, 'बी' विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली - 110002

दिसम्बर 2021

संदेश

अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री दिल्ली

मुझे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 'कमजोर वर्ग के लिए कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाएं' पर दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। दिल्ली सरकार समाज के कमजोर और सीमांत वर्ग के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए बहुत अधिक चिंतित है। इस वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमारी सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं तैयार और कार्यान्वित की गई हैं। दिल्ली के नागरिकों पर कोविड महामारी का विनाशकारी प्रभाव पड़ा, इससे प्रभावित ऐसे परिवार जिन्होंने अपने सदस्यों को इस महामारी के कारण खो दिया है, उनकी सहायता के लिए हमारी सरकार ने एक नई कल्याणकारी योजना ''मुख्यमंत्री कोविड –19 परिवार आर्थिक सहायता योजना'' शुरू की है।

यह दस्तावेज एक उत्कृष्ट संकलन है और यह विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी ताकि वे अपनी पात्रता मानदंड के अनुसार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक हो सकेंगे। यह प्रयास विचारणीय रूप से सराहनीय है कि यह रिपोर्ट विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का तत्काल दृष्टिकोण उपलब्ध कराती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, समाज के वंचित और सीमान्त वर्गों जैसे – अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्प संख्यक, वरिष्ठ नागरिक आदि के सशक्तिकरण का लक्ष्य रखते हैं। ये कार्यक्रम उन्हें उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने के लिए सक्षम बनाते हैं।

सामान्यतः कमजोर और सीमांत वर्ग के लोगों को इन सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। इसलिए, मुझे आशा है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह दस्तावेज़ उनके लिए बहुत उपयोगी होगा।

मैं दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों के उन अधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं, जिन्होंने इस प्रतिवेदन को प्रकाशित कराने में अपने बहुमूल्य सुझाव देकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस प्रशंसनीय प्रयास में योजना विभाग द्वारा किए गए कार्यों की मैं सराहना करता हूं।

अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री,

दिल्ली

संदेश

मनीष सिसोदिया

उप–मुख्यमंत्री, दिल्ली

मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के योजना विभाग के अथक प्रयासों द्वारा ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कमजोर वर्ग के लिए कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाएं'' पर दस्तावेज संकलित किया गया है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की पहचान करके प्रतिवेदन रूप में प्रस्तुत किया गया है।

किसी राष्ट्र के विकास को उसके नागरिकों के जीवन स्तर से मापा जाता है। इसलिए, हमारी सरकार कमजोर और सीमांत समूह को नीतियों में प्राथमिकता देती है और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाती है। हमारी सरकार ने समाज के गरीब और सीमांत वर्ग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

दिल्ली सरकार ने इस वर्ग के उत्थान के लिए कई ऐसी योजनाएं/कार्यक्रम लागू किए हैं जिनका सीधा सकारात्मक प्रभाव उनके जीवन और सम्मान पर पड़ता है। मौजूदा प्रतिवेदन दिल्ली में क्रियान्वित ऐसी कल्याणकारी योजनाओं पर जानकारी संकलित करने का एक प्रयास है।

दिल्ली सरकार समाज के कमजोर और सीमांत वर्गों के अधिकाधिक कल्याण के उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।

मैं इस दस्तावेज़ को संकलित करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना करना चाहता हूं। मैं योजना विभाग की टीम द्वारा किए गए कठिन प्रयास का अभिनन्दन करता हूँ।

हम आशा करते हैं कि हम जानकारी को सरल तरीके से उपलब्ध कराने में सफल रहे हैं और आशान्वित हैं कि लोग सरकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए इस दस्तावेज़ से लाभान्वित होंगे।

मनीष सिसोदिया

उप–मुख्यमंत्री,

दिल्ली

संदेश

विजय देव, आई.ए.एस

मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार समाज के कमजोर एवं सीमांत वर्गों के लाभ हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इन लाभों में छात्रवृत्ति, दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और संकटग्रस्त महिलाओं इत्यादि को वित्तीय सहायता शामिल हैं।

योजना विभाग ने ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कमजोर वर्ग के लिए क्रियान्वित कल्याणकारी योजनाएं'' पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसका उद्देश्य आम लोगों को सही सूचना समय पर उपलब्ध कराना है ताकि नागरिक इन योजनाओं के बारे में जागरूक हो और उन लाभों को प्राप्त कर सकें जिनके लिए वे पात्र हैं।

मैं इस संकलन को प्रस्तुत करने के लिए विभाग की प्रशंसा करता हूं।

विजय देव

मुख्य सचिव,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

संदेश

डॉ0 आशीष चंद्र वर्मा

प्रधान सचिव, योजना विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर निगरानी और मूल्यांकन इकाई, योजना विभाग द्वारा ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कमजोर वर्ग के लिए कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाएं'' पर रिपोर्ट संकलित की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार समाज के कमजोर और सीमांत वर्गों की आवश्यकता/उत्थान के लिए बड़ी संख्या में कल्याणकारी कार्यक्रम/योजनाएं चला रही हैं। यह दस्तावेज़ गरीब/कमजोर और सीमांत वर्गों अर्थात महिला सशक्तिकरण सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्तजन आदि को नकद या किसी अन्य रूप में लाभ देने के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है। योजना विभाग द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर रिपोर्ट इससे पूर्व जुलाई, 2013 में प्रकाशित की गई थी।

इस रिपोर्ट में इन कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत नकद या किसी अन्य रूप में दी जाने वाली वित्तीय सहायता या लाभों की मात्रा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड / मानक, वर्ष 2020-21 में उपगत व्यय और वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान आदि को प्रस्तुत किया गया है।

यह रिपोर्ट इस विभाग की निगरानी और मूल्यांकन इकाई द्वारा श्री अशोक कुमार, निदेशक, श्री. डी.बी. गुप्ता, संयुक्त निदेशक, श्री प्रेमानंद प्रुस्ती, संयुक्त निदेशक, श्री मनीष देव, उप–निदेशक के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। योजना विभाग के सेक्टर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किए गए विशेष प्रयास भी प्रशंसनीय हैं। मैं योजना विभाग की निगरानी और मूल्यांकन इकाई की टीम का इस तरह के उपयोगी दस्तावेज संकलित करने के लिए सराहना करता हूँ।

मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागों द्वारा योजना विभाग को अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के लिए उनका आभारी हूँ।

डॉ0 आशीष चंद्र वर्मा
प्रधान सचिव, योजना विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

टीम

निदेशक श्री अशोक कुमार		
श्री डी. बी. गुप्ता, संयुक्त निदेशक	श्री सुरेंद्र कुमार, सहायक निदेशक सुश्री सुषमा शर्मा, सांख्यिकीय अधिकारी	श्री नवीन दुबे, सांख्यिकीय सहायक श्री प्रतीक जैन, सांख्यिकीय सहायक सुश्री कविता यादव, सांख्यिकीय सहायक श्री अवधेश कुमार, सिस्टम एनालिस्ट (अ.नु.)
श्री प्रेमानन्द प्रुस्टी, संयुक्त निदेशक	श्री अजय कुमार, उप निदेशक सुश्री सविता कम्बोज, उप निदेशक डॉ. आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, सहायक निदेशक श्री संजय शर्मा, सांख्यिकीय अधिकारी श्री शाहिद खान, सांख्यिकीय अधिकारी	सुश्री सीमा राजपूत, सांख्यिकीय सहायक श्री मुकेश नरूला, सांख्यिकीय सहायक सुश्री मोनिका वर्मा, सांख्यिकीय सहायक श्री शुभम गुप्ता, सांख्यिकीय सहायक श्री आलोक प्रकाश, सांख्यिकीय सहायक सुश्री अंजलि शर्मा, सांख्यिकीय सहायक श्री विकास मिश्रा, सांख्यिकीय सहायक सुश्री पूजा गुप्ता, सांख्यिकीय सहायक
श्री मनीष देव, उप निदेशक	सुश्री रजनी गोविल, सहायक निदेशक सुश्री सस्मिता साहू, सहायक निदेशक सुश्री मनीषा, सांख्यिकीय अधिकारी	सुश्री अनुज कुमारी, सांख्यिकीय सहायक श्री अमित शर्मा, सांख्यिकीय सहायक श्री मुनीष कुमार, सांख्यिकीय सहायक सुश्री ज्योत्सना तनेजा, सांख्यिकीय सहायक सुश्री मनुमिता त्रिवेदी, सांख्यिकीय सहायक सुश्री श्वेता सिंह, सांख्यिकीय सहायक

विषय-वस्तु

क्रम संख्या	विभाग का नाम - योजना/कार्यक्रम	पृष्ठ-संख्या
I	प्रस्तावना	1
II	समाज कल्याण विभाग	2
1.	वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता	
2.	दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता	
3.	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना–सीएसएस	
4.	ट्रांसजेंडर समुदाय को वित्तीय सहायता	
III	महिला एवं बाल विकास विभाग	3
1.	संकटग्रस्त महिलाओं को वित्तीय सहायता	
2.	लाडली योजना	
3.	गरीब विधवाओं को बेटियों की शादी करने और अनाथ लड़कियों को शादी के लिए वित्तीय सहायता।	
4.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) - सीएसएस	
5.	कैदियों के बच्चों को निर्वाह, शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता।	
6.	समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) - सीएसएस	
7.	किशोरियों के लिए योजना - सीएसएस	
IV	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	6
1.	पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	
2.	कक्षा पहली से बारहवीं के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए स्टेशनरी की खरीद हेतु वित्तीय सहायता तथा मेरिट स्कॉलरशिप	
3.	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना	
4.	कॉलेज/व्यावसायिक संस्थानों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों को मेरिट स्कॉलरशिप	
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों को व्यावसायिक एवं तकनीकी स्कॉलरशिप	
6.	अनुसूचित जाति के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति	
7.	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति - सीएसएस	

विषय-वस्तु

क्रम संख्या	विभाग का नाम - योजना/कार्यक्रम	पृष्ठ-संख्या
8.	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति - सीएसएस	
9.	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति - सीएसएस	
10	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति - सीएसएस	
11.	दिलशाद गार्डन में अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य- पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए हॉस्टल	
12.	दिलशाद गार्डन में अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य-पिछड़ा वर्ग छात्राओं के लिए हॉस्टल	
13.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दिल्ली स्वरोजगार योजना	
14.	जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना	
V	शिक्षा निदेशालय	12
1.	पाठ्य-पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति	
2.	छात्रों को विद्यालय की वर्दी हेतु सब्सिडी	
3.	शैक्षिक/आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों का कल्याण	
4.	मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति-छात्रवृत्ति और वजीफा	
5.	ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा	
6.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम	
7.	विद्यालयों में किशोरियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता (किशोरी योजना)	
8.	मध्याहन भोजन कार्यक्रम - सीएसएस	
9.	माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस)	
10.	खेल और उत्थान - खेलों में उत्कृष्टता के लिए विद्यालयी छात्रों को वित्तीय सहायता	
VI	उच्च शिक्षा निदेशालय	18
1.	दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना	
2.	मेरिट-सह-साधन से जुड़ी वित्तीय सहायता योजना	
VII	प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय	19
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए कल्याण कार्यक्रम-एससीएसपी (एससी/एसटी छात्रों के लिए कोचिंग सह मार्गदर्शन योजना)	

विषय-वस्तु

क्रम संख्या	विभाग का नाम - योजना/कार्यक्रम	पृष्ठ-संख्या
2.	तकनीकी शिक्षा समुदाय आउटरीच योजना (टीईसीओएस)	
3.	दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित छात्रवृत्ति योजनाएं	
i.	मेरिट स्कॉलरशिप	
ii.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति	
VIII	उद्योग विभाग	20
1.	राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना	
2.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	
IX	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	22
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013	
X	स्वास्थ्य विभाग	23
1.	एड्स/एचआईवी से प्रभावित/संक्रमित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता	
2.	एचआईवी/एड्स से संक्रमित या प्रभावित अनाथ/बेसहारा बच्चों को वित्तीय सहायता	
3.	मोबाइल स्वास्थ्य योजना	
4.	दिल्ली आरोग्य कोष	
(i)	फरिश्ते योजना	
(ii)	रोगियों के लिए निःशुल्क उच्च और नैदानिक योजना	
(iii)	पात्र रोगियों को निःशुल्क सर्जरी	
(iv)	पात्र रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस	
(v)	रोगियों को वित्तीय सहायता	
XI	विद्युत विभाग	26
1.	डिस्कॉम के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं को सब्सिडी	
XII	शहरी विकास विभाग	27
1.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) - सीएसएस	

विषय-वस्तु

क्रम संख्या	विभाग का नाम - योजना/कार्यक्रम	पृष्ठ-संख्या
XIII	कला, संस्कृति और भाषा विभाग	28
	उर्दू अकादमी	
1.	लेखकों/साहित्यिकारों को पांडुलिपियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता	
2.	वृद्ध उर्दू लेखकों/कवियों/पत्रकारों को मासिक वित्तीय सहायता	
	पंजाबी अकादमी	
3.	साहित्यकारों/कलाकारों या उनके आश्रित को पेंशन	
	साहित्य कला परिषद	
4.	वृद्ध कलाकारों को वित्तीय सहायता	
XIV	दिल्ली जल बोर्ड	30
1.	दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी	
2.	मुख्यमंत्री मुफ़्त सीवर कनेक्शन योजना	
3.	जेजे क्लस्टर में जलापूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	
XV	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	31
1.	भुगतान एवं उपयोग – जनसुविधा परिसरों का निर्माण	
2.	सामुदायिक हॉल/बस्ती विकास केंद्रों का निर्माण	
3.	शहरी स्लम क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार	
4.	आश्रय गृह का संचालन तथा प्रबंधन	
XVI	राजस्व विभाग	33
1.	एनडीए कैडेटों को वित्तीय सहायता/प्रशिक्षण भत्ता	
2.	दिल्ली वक्फ बोर्ड	
(i)	इमामों/मुअज़्ज़िनों को वित्तीय सहायता	
(ii)	विधवाओं को वित्तीय सहायता	
3.	दिल्ली हज कमेटी	
4.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना – सीएसएस	

विषय-वस्तु

क्रम संख्या	विभाग का नाम - योजना/कार्यक्रम	पृष्ठ-संख्या
5.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना – सीएसएस	
6.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना – सीएसएस	
7.	मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा	
8.	विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के लिए सेवाएं	
XVII	परिवहन विभाग	36
1.	रियायती पास के लिए डीटीसी को सब्सिडी	
2.	महिला यात्रियों के लिए डीटीसी को सब्सिडी	
3.	महिला यात्रियों के लिए क्लस्टर बसों को सब्सिडी	

I
प्रस्तावना

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की राजधानी दिल्ली की जनसंख्या 1,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1.67 करोड़ है। वर्ष 2021 के दौरान अनुमानित जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था बहुत सशक्त है, जिसमें ज्यादातर योगदान सेवा क्षेत्र (सेवा क्षेत्र की गतिविधियों से आने वाले जीएसवीए का लगभग 83%) का है और पिछले 06 वर्षों के दौरान स्थिर मूल्य पर 5.28% की औसत दर से वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में, दिल्ली, गोवा और सिक्किम राज्यों के साथ देश के शीर्ष तीन स्थानों में से एक है, जिसकी 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 3.54 लाख रुपये है, जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का लगभग तीन गुना है। समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए बजटीय हस्तांतरण के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रति व्यक्ति व्यय निरन्तर बढ़ रहा है जो वर्ष 2015-16 में 18844 रुपये से बढ़कर 2020-21 में 25506 रुपये हो गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में निरंतर सुधार तथा पानी और बिजली पर सब्सिडी, सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से लक्षित लाभार्थियों की क्रय शक्ति बढ़ाने को प्राथमिकता दी गयी है।

यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है कि इसके सभी नागरिक 'कोई पीछे न छूटे ' के प्राथमिक सिद्धांत पर समावेशी विकास के माध्यम से विकास प्रक्रिया और उच्च वृद्धि के लाभों को सामान रूप से प्राप्त करें । सरकार ने राज्य में ज्यादातर आबादी के लिए व्यापक स्तर पर पर्याप्त उन्नति करने की दिशा में निरन्तर कार्य किया है ताकि समाज के सीमांत एवं वंचित वर्गों में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी विकास हो सके। राज्य को संविधान द्वारा आदेश है कि वह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा देने के लिए भी उत्तरदायी है तथा राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर कार्य, शिक्षा के अधिकार, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, अक्षमता आदि से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जन सहायता के लिए प्रभावी प्रावधान बनायें। संविधान के अनुच्छेद 46 में विशेष रूप से कहा गया है कि ''राज्य कमजोर वर्ग के लोगों मुख्य रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा को बढ़ावा देगा तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषण के सभी रूपों से उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा'' जबकि अनुच्छेद 47 इस बात पर बल देता है कि राज्य अपने प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में व्यक्तियों के पोषण स्तर और जीवन स्तर में वृद्धि तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को महत्व देगा और विशेष रूप से, राज्य मादक पेय पदार्थों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा।' सरकार का अंतिम उद्देश्य नागरिकों के हित को सुनिश्चित करना तथा सामाजिक कल्याण प्रदान करना है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने समाज के कमजोर और सीमांत वर्गों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में कल्याणकारी कार्यक्रमों/योजनाओं को चलाया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागों/एजेंसियों द्वारा कुल आवंटित बजट 9087.69 करोड़ रुपये के साथ लगभग 71 योजनाएं(13 केंद्र प्रायोजित योजनाओं सहित) विशिष्ट लक्षित समूहों/लाभार्थियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों को शामिल करते हुए लागू की गई हैं । इस प्रतिवेदन में इन कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत दिए गए लाभों अथवा वित्तीय सहायता की मात्रा का लाभ नकद रूप में या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त करने के लिए पात्रता/मानदंड, वर्ष 2020-2021 में उपगत व्यय तथा वर्ष 2021-2022 हेतु अनुमानित बजट इत्यादि प्रस्तुत किया गया है। राज्य द्वारा बिजली और पानी पर सब्सिडी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि दिल्ली में लोगों के आर्थिक और सामाजिक स्थिति के सुधार में वास्तविक रूप से लाभकारी सिद्ध हुए हैं।

यह दस्तावेज महिला–सशक्तिकरण सहित गरीब/कमजोर एवं सीमांत वर्गों जैसे – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं अल्पसंख्यकों, दिव्यांग व्यक्तियों इत्यादि को नकद या अन्य प्रकार से लाभ देने के उद्देश्य से सभी कल्याणकारी योजनाओं का एक विवरण प्रस्तुत करता है वर्ष 2020-21 में कुछ योजनाओं में कोविड-19 महामारी के कारण लाभार्थियों की संख्या में गिरावट आई है, जबकि दूसरी ओर, यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि कई अन्य एकबारगी उपायों के अतिरिक्त कुछ योजनाओं ने कोविड-19 महामारी के मुश्किल समय में जरूरतमंद परिवारों की सहायता की है।

इस दस्तावेज में संकलित अधिकांश योजनाएँ कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए हैं लेकिन कुछ योजनाएँ दिल्ली के समस्त नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हैं। पानी और बिजली सब्सिडी जैसी योजनाएं मुख्य रूप से कमजोर वर्गों के लिए लक्षित हैं, लेकिन दिल्ली के आम नागरिकों द्वारा भी इसका लाभ उठाया जा सकता है। ऐसी योजनाओं के अधिकतर लाभार्थी समाज के कमजोर वर्ग से हैं।

****

II
समाज कल्याण विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
1	वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता ब.अ. 2021-22 : 1474 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21 : 1137.32 करोड़ रुपये	• आयु 60 वर्ष और उससे अधिक। • पिछले 5 वर्षों से दिल्ली का निवासी हो। • निवास–स्थान का कम से कम 5 वर्षों का प्रमाण–पत्र (राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट आदि) जो स्पष्ट रूप से दिल्ली के निवासी होने का प्रमाण दर्शाता हो। • परिवार की प्रति वर्ष आय 1 लाख रुपये से कम	• प्रतिमाह 2000/- रुपये (60-69 वर्ष की आयु–वर्ग के लिए) • प्रतिमाह 2500/- रुपये (70 वर्ष या उससे अधिक आयु–वर्ग के लिए)	2019-20: 4,63,945 2020-21: 4,27,072
2	दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता ब. अ. 2021-22: 320.35 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 279.17 करोड़ रुपये	• आवेदक 40% और उससे अधिक विकलांग है • कोई आयु सीमा नहीं (अर्थात जन्म से मृत्यु तक) • दिल्ली में कम से कम 05 वर्ष (राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट आदि) का निवास प्रमाण–पत्र होना चाहिए। • परिवार की प्रति वर्ष आय 1 लाख रुपये से कम	• 2,500/- रुपये प्रतिमाह	2019-20: 95,324 2020-21: 98,064
3	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (सीएसएस) ब. अ. 2021-22: 29.70 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21 27.23 करोड़ रुपये	• मुख्य आजीविका अर्जक की मृत्यु का प्रमाण–पत्र। • आवेदक की आयु 18-60 वर्ष के बीच। • दिल्ली में कम से कम 05 वर्ष (राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट आदि) का निवास प्रमाण–पत्र होना चाहिए। • परिवार की प्रति वर्ष आय 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए	• 20,000/- रुपये की एक बारगी सहायता	2019-20: 10,729 2020-21: 13,676
4	ट्रांसजेंडर समुदाय को वित्तीय सहायता ब. अ. 2021-22: 0.50 करोड़ रुपये व्यय 2020-21: शून्य	• कम से कम 03 साल तक दिल्ली का निवासी।	• 1,000 रुपये प्रतिमाह	2019-20: शून्य 2020-21: शून्य

III
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
1	संकटग्रस्त महिलाओं को वित्तीय सहायता ब. अ. 2021-22: 915.50 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 827.72 करोड़ रुपये	• 18 वर्ष और उससे अधिक आयु। • पिछले 5 साल से दिल्ली का निवासी। निवास-स्थान का कम से कम 05 • वर्षों का प्रमाण-पत्र (राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट आदि) जो स्पष्ट रूप से दिल्ली के निवासी होने का प्रमाण दर्शाता हो । • परिवार की प्रति वर्ष आय 1 लाख रुपये से कम	• 2,500/- रुपये प्रतिमाह	2019-20: 2,66,602 2020-21: 2,81,284
2	लाडली योजना ब. अ. 2021-22: 100.00 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 89 करोड रुपये	• स्थानीय निकायों के रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार लड़की का जन्म दिल्ली में होना चाहिए। • योजना में शामिल करने के लिए निर्णायक तिथि लड़की का जन्म 01.01.2008 को या उसके बाद हुआ हो । • आवेदक को बालिका के जन्म तिथि से कम से कम तीन वर्षों तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वास्तविक निवासी होना चाहिए। • परिवार की प्रति वर्ष आय 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। • यदि लड़की स्कूल जा रही है, तो उसके स्कूल को दिल्ली सरकार/एमसीडी/एनडीएमसी द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। • योजना का लाभ प्रति परिवार दो जीवित लड़कियों तक सीमित है। • लड़की के नाम पर जमा की गई वित्तीय सहायता। • परिपक्वता राशि का दावा तब किया जा सकता है जब बालिका 18 वर्ष की आयु पूरी करे और दसवीं कक्षा को नियमित छात्र के रूप में पास कर चुकी हो या बारहवीं कक्षा में प्रवेश लेती हो।	• यदि बालिका का जन्म राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अस्पताल/नर्सिंग होम में हुआ हो तो बालिका के नाम पर 11000 रुपये जमा किए जाते हैं। • यदि बालिका का जन्म अस्पताल के अलावा अन्य स्थान पर हुआ हो तो बालिका के नाम पर 10000 रुपये जमा किए जाते हैं। • कक्षा पहली, छठी, नौवीं में प्रवेश पर और दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर तथा बारहवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिकाओं के नाम पर 5000 रुपये भी जमा किए जाते हैं।	2019-20 नए मामले दर्ज/पंजीकृत: 46,660; नवीकृत मामले: 94,338; परिपक्वता प्राप्त: 29,097 2020-21 नए मामले दर्ज/पंजीकृत: 55,752; नवीकृत मामले: 91,346; परिपक्वता प्राप्त: 25,826

III
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
3	गरीब विधवाओं को बेटियों की शादी करने और अनाथ लड़कियों को शादी के लिए वित्तीय सहायता ब. अ. 2021-22: 13.00 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 7.52 करोड़ रुपये	• 05 वर्षों से दिल्ली का निवासी। • निवास-स्थान का कम से कम 05 वर्षों का प्रमाण-पत्र (राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट आदि) जो स्पष्ट रूप से दिल्ली के निवासी होने का प्रमाण दर्शाता हो। • दो बेटियों को दी गई सहायता। • परिवार की आय 60,000/- रुपये से अधिक नहीं।	• 30,000/- रुपये की एक बारगी सहायता	2019-20: 2,226 2020-21: 2,573
4	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) -सीएसएस ब. अ. 2021-22: 29.40 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 15.89 करोड रुपये	• सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं • उन महिलाओं को छोड़कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित रोजगार पर कार्यरत हो या समान लाभ प्राप्त करती हो • परिवार में पहले बच्चे के लिए 01.01.2017 को या उसके बाद गर्भधारण।	• 5,000 रुपये तीन किश्तों में।	2019-20: 78,164 2020-21: 76,253
5	कैदियों के बच्चों को निर्वाह, शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता ब. अ. 2021-22: 0.30 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 0.16 करोड रुपये	• वे बच्चे जिनके माता-पिता में से कोई एक जीवित या दोनों माता-पिता जेल में है/हैं। • बच्चे के १८ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या माता-पिता के बंदीगृह से मुक्त होने तक, जो भी पहले हो।	• पहले बच्चे के लिए 3,500/- रुपये प्रतिमाह • दूसरे बच्चे के लिए अतिरिक्त प्रतिमाह 3,000/- रुपये • सहायता की अधिकतम राशि-प्रतिमाह 6,500/- रुपये (03 या अधिक बच्चों के मामले में)	2019-20: 50 2020-21: 49

III
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
6	एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) – सीएसएस (एसएनपी सहित) ब. अ. 2021-22: 276.57 करोड़ रुपये (एसएनपी सहित) व्यय. 2020-21: 244.4 करोड़ रुपये (एसएनपी सहित)	• आंगनबाड़ी केंद्रों में भाग लेने वाले 0-6 वर्ष के बीच के बच्चे और गर्भवती और नर्सिंग माताएं।	• सब्जी पुलाव • खिचड़ी नमकीन • दलिया मीठा • मीठा चावल 7 महीने से 1 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दूध छुड़ाने के लिए भोजन। दिए गए छह टीके : • पोलियोमाइलाइटिस • डिप्थीरिया • पर्टुसिस • टिटनेस • तपेदिक • खसरा	2019-20: 12,15,943 2020-21: 12,59,820
7	किशोरियों के लिए योजना (एसएजी) –(सीएसएस + राज्य) ब. अ. 2021-22: 6.00 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 0.24 करोड़ रुपये	• 11-14 वर्ष की आयु वर्ग की विद्यालय जाने वाली सभी किशोरियां	• पोषण प्रावधान • आयरन और फोलिक एसिड (आईएफए) पूरकता • स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं • पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (एनएचई) • औपचारिक विद्यालयी शिक्षा में शामिल होने हेतु बालिकाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए ब्रिज कोर्स /कौशल प्रशिक्षण • जीवन कौशल शिक्षा, गृह प्रबंधन आदि • सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए काउंसलिंग/ मार्गदर्शन	2019-20: 1,900 2020-21: 1,108

IV
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग कल्याण विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
1	पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति ब. अ. 2021-22: 33.00 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 14.56 करोड़ रुपये	एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों के लिए: • माता-पिता की वार्षिक आय सीमा – 3 लाख रुपये से अधिक नहीं पिछली कक्षा में न्यूनतम 50% अंक हासिल करना और न्यूनतम 70% उपस्थिति	• अधिकतम 48,000 रुपये या वास्तविक भुगतान जो भी इससे कम हो तक ट्यूशन फीस, लैब फीस, लाइब्रेरी फीस की प्रतिपूर्ति	2019-20: 25,414 2020-21* 5,916
2	कक्षा पहली से बाहरवीं के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए स्टेशनरी की खरीद हेतु वित्तीय सहायता तथा मेरिट छात्रवृत्ति ब. अ. 2021-22: शून्य 2020-21: व्यय. 7.05 करोड़ रुपये	• कक्षा पहली से बाहरवीं तक पब्लिक/प्राइवेट/सरकारी/मान्यता प्राप्त/केंद्रीय विद्यालय संगठन/एन.डी.एम.सी./दिल्ली छावनी परिषद के विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए • पिछली कक्षा में न्यूनतम 75% अंक और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए कोई आय सीमा लागू नहीं • 75% से कम अंक हासिल करने वाले छात्रों के लिए आय-सीमा लागू – 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष	• कक्षा पहली से आठवीं: 3,000 रुपये प्रति वर्ष • कक्षा 9 से 10 तक: 4,000 प्रति वर्ष (पिछली कक्षा में न्यूनतम 50% अंक) • कक्षा 11वीं से 12वीं: 5,000 रुपये प्रति वर्ष (पिछली कक्षा में न्यूनतम 60% अंक)	2019-20: 3,07,630 2020-21* 35,935
3	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना (नई योजना) ब. अ. 2021-22: 150.00 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: शून्य:	• नौवीं से बारहवीं कक्षा के एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के छात्रों लिए • वार्षिक आय सीमा: दिशा-निर्देश को अभी अंतिम रूप दिया जाना है • पिछली कक्षा में न्यूनतम 75% अंक और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए कोई आय सीमा लागू नहीं	• कक्षा नौवीं से दसवीं 5000 रुपये प्रति वर्ष (पिछली कक्षा में न्यूनतम 50% अंक) • कक्षा ग्यारहवीं: से बारहवीं: 10,000 रुपये प्रति वर्ष (पिछली कक्षा में 60% अंक)	2020-21: से नई योजना 2020-21:* – शून्य

IV
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग कल्याण विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
4	कॉलेज/व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत्त एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के छात्रों को मेरिट छात्रवृत्ति ब. अ. 2021-22: 3.5 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 0.58 करोड़ रुपये	• एससी/एसटी छात्रों के मामले वार्षिक परिवार आय लागू नहीं। • ओबीसी छात्र के माता-पिता के लिए वार्षिक परिवार आय की अधिकतम सीमा-3 लाख रुपये • वे छात्र पात्र हैं जो पिछली परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक सुरक्षित करते हैं और मान्यता प्राप्त कॉलेज/तकनीकी संस्थान में प्रवेश प्राप्त करते हैं।	• छात्रवृत्ति राशि: (i) पाठ्यक्रम के आधार पर डे स्कालर्स के लिए 8,000 से 15,000 रुपये प्रति वर्ष, (ii) पाठ्यक्रमों के आधार पर हॉस्टलर के लिए 12,000 रुपये से 24,000 रुपये प्रति वर्ष तक।	2019-20: 1,260 2020-21* 596
5	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को व्यावसायिक एवं तकनीकी छात्रवृत्ति ब. अ. 2021-22: 0.40 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: शून्य	• एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों के लिए: • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा चलाये जाने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकी तकनीकी संस्थानों (आईटीआई) से तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए • परिवार की आय प्रति वर्ष 2 लाख रुपये से अधिक नहीं	• डे स्कॉलर्स: 210 रुपये प्रति माह • हॉस्टलर: 360 रुपये प्रति माह	2019-20: शून्य 2020-21: शून्य
6	अनुसूचित जाति के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति ब. अ. 2021-22: 5.00 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 0.05 करोड़ रुपये	• सभी स्रोत से कुल पारिवारिक आय प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होने चाहिए। • उम्मीदवार दिल्ली का मूल निवासी हो 'या' उम्मीदवार दिल्ली का सदाशयी निवासी हो और पिछले पांच वर्षों से दिल्ली में रहने का दस्तावेजी प्रमाण अपने पास रखता हो • समान मातापिता/अभिभावक का केवल एक ही बच्चा पात्र होगा • पीएचडी के लिए न्यूनतम योग्यता - संबंधित विषय में स्नातकोत्तर में समकक्ष ग्रेड या 55% अंक • स्नातकोत्तर उपाधि के लिए - सम्बंधित स्नातक उपाधि में समकक्ष ग्रेड या 55% अंक • अंतिम तिथि को आयु-30 वर्ष से कम • दिशा-निर्देशों में उल्लिखित अन्य मानदंड ।	• पीएचडी कोर्स (04 वर्ष) की सम्पूर्ण अवधि के लिए 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिकतम 20 लाख रुपये प्रति वर्ष या वास्तविक राशि जो भी इससे कम हो • स्नातकोत्तर उपाधि (02 वर्ष) के लिए 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति वर्ष या वास्तविक राशि जो भी इससे कम हो	2019-20: शून्य 2020-21: 01

IV
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग कल्याण विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
7	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति सीएसएस ब. अ. 2021-22: 10.00 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: शून्य	• मैट्रिक/माध्यमिक पश्चात् (कॉलेज/विश्वविद्यालय) स्तर की पढ़ाई • सभी स्रोतों से माता-पिता/अभिभावकों की आय प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है।		2019-20: 19,537 2020-21* शून्य

पाठ्यक्रमों का नाम	डे स्कॉलर्स के लिए वित्तीय सहायता (रुपये प्रति माह)	होस्टलर्स के लिए वित्तीय सहायता (रुपये प्रति माह)
ग्रुप-1 कोर्स: डिग्री, पीजी स्तर के कोर्स मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर वेटनरी आदि, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड मेडिसिन, सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस/आईसीएफए, एमफिल, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम	550	1200
ग्रुप-2 कोर्स: व्यावसायिक कोर्स जैसे फार्मेसी, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट आदि जिनके लिए प्रवेश योग्यता 10+2 और वोकेशनल कोर्स इत्यादि के लिए प्रवेश योग्यता 12वी तथा इससे अधिक है	530	820
ग्रुप-3 कोर्स: ग्रुप-1 और ग्रुप-2 यानी बी.ए/बी.एस.सी/बी.कॉम/एमए/एमएससी आदि के तहत ग्रेजुएट डिग्री के लिए अग्रणी अन्य सभी कोर्स	300	570
ग्रुप-IV कोर्स: प्रवेश योग्यता कक्षा 10वीं जैसे आईटीआई, पॉलिटेक्निक में 3 साल का डिप्लोमा आदि सभी पोस्ट मैट्रिक नॉन डिग्री स्तर के कोर्स।	230	380

IV
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग कल्याण विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
8	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक – पूर्व छात्रवृत्ति सीएसएस ब. अ. 2021-22: 2.53 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: शून्य	• नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों लिए (अनुसूचित जाति के लिए) • मातापिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है. • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।	नौवीं और दसवीं कक्षा के लिए • छात्रवृत्ति – डे स्कॉलर के लिए छात्रवृत्ति 225 रुपये प्रति माह और हॉस्टलर के लिए 750 रुपये प्रति माह एक साल में 10 माह के लिए • किताबें और एडहॉक अनुदान: डे स्कॉलर के लिए 525 रुपये प्रति वर्ष हॉस्टलर के लिए 1,000 रुपये प्रति वर्ष	2019-20 14,643 2020-21* शून्य
9	ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति सीएसएस ब. अ. 2021-22: 2.00 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 2.00 करोड़ रुपये	ओबीसी छात्रों के लिए: • 11वीं कक्षा से पीएचडी तक तकनीकी /व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित) • सभी स्रोतों से माता-पिता/ अभिभावकों की आय प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक न हो	• निर्वाह भत्ता– छात्र डे स्कॉलर हो या होस्टलर के पाठ्यक्रम की श्रेणी के आधार पर प्रतिमाह 160-750 रुपये • भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रस्तुत वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर छात्रों द्वारा भुगतान की गई अनिवार्य और गैर-वापसी योग्य फीस की प्रतिपूर्ति।	2019-20: 8,948 2020-21: 6,713

IV
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग कल्याण विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
10	ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति सीएसएस ब. अ. 2021-22: 1.00 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 1.00 करोड़ रुपये	ओबीसी छात्रों के लिए: • मैट्रिक-पूर्व स्तर (कक्षा 1-10) के लिए • सभी स्रोतों से माता-पिता/अभिभावकों की आय प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। • पिछले वर्ष/कक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत उपस्थिति।	• छात्रवृत्ति – डे स्कॉलर के लिए छात्रवृत्ति 100 रुपये प्रति माह (कक्षा I-X) एक साल में 10 माह के लिए • हॉस्टलर के लिए 500 रुपये प्रतिमाह (कक्षा तीसरी-दसवीं) साल में 10 महीने के लिए • एडहॉक ग्रांट: सभी छात्रों अर्थात डे स्कॉलर और होस्टलर को 500 रुपये प्रति वर्ष	2019-20: 11,205 2020-21* 6,666
11	दिलशाद गार्डन में एससी/एसटी/ओबीसी लड़कों के लिए हॉस्टल ब. अ. 2021-22: 3.40 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 1.28 करोड़ रुपये	• सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय या कॉलेज में कक्षा 12 वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले • एससी/एसटी/ओबीसी के लिए हॉस्टल में एडमिशन लेने वाले छात्रों के अभिभावकों की आय सीमा 2 लाख रुपये सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। • दिल्ली का निवासी होना आवश्यक नहीं है लेकिन उस विशेष राज्य के एससी/एसटी प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है जहां से वह दिल्ली में शिक्षा के लिए आता है ।	• हॉस्टल में खाने और ठहरने की सभी सुविधाएं निशुल्क दी जाती हैं।	2019-20: क्षमता-100 प्रवेश-55 2020-21* क्षमता-100 प्रवेश-शून्य
12	दिलशाद गार्डन में एससी/एसटी/ओबीसी लड़कियों के लिए हॉस्टल ब. अ. 2021-22: 0.92 करोड़ रुपये व्यय 2020-21: 0.60 करोड़ रुपये	• सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेजों में एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के 12वीं कक्षा के छात्र या उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र। • एससी/एसटी/ओबीसी के लिए हॉस्टल में एडमिशन लेने वाले छात्रों के अभिभावकों की आय सीमा 2 लाख रुपये सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।	• हॉस्टल में सभी सुविधाएं निशुल्क प्रदान की गई है	2019-20* क्षमता-60 प्रवेश-55 2020-21: क्षमता-60 प्रवेश-शून्य

IV
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग कल्याण विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
13	अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली स्वरोजगार योजना ब. अ. 2021-22: शून्य (हालांकि, इस योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण के रूप में डी.एस.एफ.डी.सी. को 56 करोड़ रुपये दिए गए) व्यय. 2020-21: शून्य	• कम से कम पिछले पांच वर्षों से दिल्ली का निवासी • 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच। • सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है	• दिल्ली में उद्यम शुरू करने के इच्छुक उद्यमी को 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।	2019-20: शून्य 2020-21: 04
14	जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना ब. अ. 2021-22: 120.00 करोड़ रुपये व्यय 2020-21: 1.51 करोड़ रुपये	• दिल्ली में रहने वाले और दिल्ली के स्कूल से दसवीं और बारहवीं कक्षा पास करने वाले एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्र • कुल पारिवारिक आय प्रति वर्ष 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए	• आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करना ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरा करें और सार्वजनिक /निजी क्षेत्र में उचित नौकरी प्राप्त करने में सफल हो सकें। • पूर्ण स्वीकार्य कोचिंग शुल्क सरकार द्वारा प्रदान किया जाना है। • ट्यूशन कक्षाओं में भाग लेने के लिए स्थानीय छात्रों को प्रति छात्र 2,500 का मासिक वजीफा दिया जाएगा।	2019-20: 2,071 2020-21* 941

* कोविड-19 महामारी के कारण कम उपलब्धियां।

V
शिक्षा निदेशालय

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
1	पाठ्य पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति ब. अ. 2021-22: 201 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 148.90 करोड़ रुपये	• इस योजना के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में नर्सरी से बारहवीं कक्षा तक के सभी छात्रों में आय और लिंग को महत्त्व दिए बिना लाभ दिया जाता है।	• डीबीटीबी के माध्यम से नर्सरी कक्षाओं के छात्रों को अच्छी गुणवत्ता की किट। • डीबीटीबी के माध्यम से पहली से आठवीं कक्षा के छात्रों को पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं और डीबीटी के माध्यम से लेखन सामग्री के लिए क्रमशः (प्राथमिक (पहली से पाँचवीं) और उच्च प्राथमिक (छठीं से आठवीं) के छात्रों को 300 रुपये और 400 रुपये की नकद सब्सिडी भी दी जाती है। • पुस्तकों के बदले कक्षा नौवीं के छात्रों को–600 रुपये कक्षा दसवीं के छात्रों को–700 रुपये कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के छात्रों को 800 रुपये प्रति की दर से नकद प्रदान किया जाता है। • सहायता प्राप्त विद्यालयों और निजी विद्यालय के सम्बन्ध में निःशुल्क कोटा के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले छात्रों को नकद सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में वितरित की जाती है। • आठवीं, नौवीं और दसवीं कक्षा के सभी छात्रों और कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के उन छात्रों को जो विषय के रूप में गणित चुनते हैं, को ज्यामिति बॉक्स खरीदने के लिए प्रति वर्ष 30 रुपये प्रति छात्र नकद सब्सिडी दी जाती है।	2019-20 16,77,764 (13,10,578 आधार के माध्यम से 3,67,186 ईसीएस के माध्यम से) 2020-2021 16.17 लाख विद्यार्थी

V
शिक्षा निदेशालय

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
2	छात्रों को स्कूल वर्दी के लिए सब्सिडी। ब. अ. 2021-22: 250 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: शून्य	• सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल के कक्षा नर्सरी से बारहवीं तक (लिंग और आय को महत्त्व दिए बिना) सभी छात्र। • फ्रीशिप कोटे के तहत निजी स्कूलों में दाखिल सभी छात्र।	• 2017-18 और उसके बाद से प्रभावी दरें : • नर्सरी से पांचवीं तक 1,100 रुपये प्रतिवर्ष • कक्षा छठी से आठवीं तक 1,400 रुपये प्रतिवर्ष • कक्षा नौवीं से बारहवीं तक 1,500 रुपये प्रतिवर्ष	2019-20: दिल्ली सरकार के और सहायता प्राप्त विद्यालयों के 17,12,198 लाभार्थी 2020-21: शून्य*
3	शैक्षिक/आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों का कल्याण ब. अ. 2021-22: 20 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: शून्य	• सभी मुस्लिम और बौद्ध/नव बौद्ध छात्र • माता-पिता की आय प्रतिवर्ष 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।	• कक्षा पहली से आठवी के छात्रों को 500 रुपये प्रतिवर्ष। • कक्षा नौवीं से बारहवीं के छात्रों को 1,000 रुपये प्रतिवर्ष। • डीबीटी के माध्यम से नकद हस्तांतरण	2019-20: 2,57,233 शैक्षिक/आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र 2020-21: शून्य*
4	मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति – छात्रवृत्ति और वजीफा ब. अ. 2021-22: 8 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: शून्य	• सरकारी स्कूलों में सातवीं-बारहवीं कक्षा के छात्र जो पूर्ववर्ती कक्षा में केवल A1 और A2 ग्रेड सुरक्षित करते हैं (कुल मिलाकर 80% और उससे ऊपर के अंक जहां ग्रेड के स्थान पर अंक दिए जाते हैं) • इस योजना के लिए माता-पिता की आय की कोई सीमा नहीं है।	• डीबीटी के माध्यम से सातवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों को 2,500 रुपये प्रतिवर्ष ।	2019-20: कक्षा सातवीं से बारहवीं के 29,508 छात्र 2020-21: शून्य*

V
शिक्षा निदेशालय

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
5	ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को मुफ्त परिवहन सुविधा ब. अ. 2021-22: 4 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: शून्य	• ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को मुफ्त परिवहन जहां स्कूली शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है।	• छात्राओं के परिवहन के लिए बस सेवा (लो फ्लोर) निशुल्क प्रदान की गयी। वर्तमान में उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जिलों के गांवों के 7 स्कूलों में डीटीसी बसों की व्यवस्था की गयी है। ये स्कूल हैं: SKV बख्तावरपुर, SKV प्रहलादपुर, SKV दरियापुर कलां, SKV नरेला नंबर-1, SKV अलीपुर, उत्तर-पश्चिम (ए) में, उत्तर पश्चिम (बी) में SKV कुतुबगढ़ और दक्षिण पश्चिम (बी) में SKV छावला ।	2019-20 इस योजना के तहत कक्षा पहली से बारहवीं की लगभग 4,000 छात्राओं को लाभान्वित किया गया। 2020-21 शून्य*
6	शिक्षा का अधिकार अधिनियम ब. अ. 2021-22: 300 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 218.89 करोड़ रुपये	• शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुपालन में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत शिक्षा निदेशालय के गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्र के व्यय की प्रतिपूर्ति • शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश पाने वाले कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा लागत की प्रतिपूर्ति	प्रति छात्र व्यय प्रतिपूर्ति : कक्षा पहली से पांचवीं : • 2,242 प्रति माह और वर्दी के लिए सब्सिडी 1,100 रुपये प्रति वर्ष • कक्षा छठी से आठवीं : 2,225 प्रति माह और वर्दी के लिए सब्सिडी 1,400 रुपये प्रति वर्ष	2019-20: ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के 35,962 छात्रों को ऑनलाइन लाटरी के आधार पर निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश दिया गया। 2020-21: 35,275
7	स्कूलों में किशोरियों के मध्य मासिक धर्म स्वच्छता (किशोरी योजना) ब. अ. 2021-22: 20 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 7.30 करोड़ रुपये	• कक्षा छठी से बारहवीं तक के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों की सभी छात्राएं पात्र हैं	• सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में छठी से बारहवीं कक्षा तक की प्रत्येक लड़की को हर महीने सैनिटरी नैपकिन का एक-एक पैक उपलब्ध कराया जाता है।	2019-20: लगभग 8.00 लाख 2020-21: लगभग 8.20 लाख प्रतिमाह

V
शिक्षा निदेशालय

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
8	मिड डे मील कार्यक्रम (सीएसएस + राज्य) ब. अ. 2021-22: 164 करोड़ रुपये व्यय 2020-21: 148.07 करोड़ रुपये	• सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय विद्यालयों की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के सभी बच्चों और गैर औपचारिक शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। भोजन में चावल और गेहूं आधारित खाद्य सामग्री जैसे आलू/छोले पूड़ी, सांभर/चावल के साथ कढ़ी आदि शामिल हैं।	• सहायता प्राप्त स्कूलों सहित दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों को बना (पकाया) हुआ भोजन। • प्राथमिक (पहली कक्षा से पांचवी) के तहत : प्रतिदिन प्रति छात्र 100 ग्राम प्रति भोजन। • उच्च प्राथमिक (कक्षा छठी से आठवीं) के तहत : प्रतिदिन प्रति छात्र 150 ग्राम प्रति भोजन।	2019-20: लगभग 16.06 लाख छात्र 2020-21: 15.38 लाख छात्र
9	माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) ब. अ. 2021-22: 80 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 56.75 करोड़ रुपये	• इस योजना में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय और स्थानीय निकाय सहायता प्राप्त स्कूलों में प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाले सभी छात्रों जो दिव्यांगता अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित एक या अधिक रूप से दिव्यांग हैं, को शामिल किया गया है।	• निर्दिष्ट मदों के लिए विकलांग छात्रों के लिए प्रतिवर्ष 3500/- रुपये प्रति बच्चें तक की वित्तीय सहायता। इसमें शामिल है जैसे चिकित्सा आंकलन, परिवहन भत्ता, पाठक भत्ता, लड़कियों के लिए वजीफा, शिक्षण अधिगम सामग्री, परिचारक की सेवाएं, ब्रेल लिपि की किताबें आदि। • प्रत्येक विकलांग बच्चे के लिए छात्र-वृत्ति के तौर पर 600/- रुपये प्रति वर्ष की दर से टॉप अप प्रदान किया जाता है।	2019-20: निम्नानुसार सहायता प्रदान की गयी: • विशेष आवश्यकता वाले 850 बच्चों को 10 महीने के लिए 2500 रुपये की दर से रीडर भत्ता (CWSN) • अनुरक्षण भत्ता 10 महीने से 1819 CWSN तक 2500 रुपये की दर से। • 2656 CWSN को 10 महीने के लिए 2000 रुपये की दर से चिकित्सीय भत्ता। • 10 महीने के लिए 2358 CWSN को 2000 रुपये की दर से परिवहन भत्ता

V
शिक्षा निदेशालय

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
				• लड़कियों के लिए वजीफा 2000 रुपये की दर से विशेष आवश्यकता वाले 7421 बच्चों को 10 महीने तक • विशेष आवश्यकता वाले 11344 बच्चों को प्रतिवर्ष 600 रुपये की दर से टॉप-अप छात्रवृति 2020-21: निम्नानुसार सहायता प्रदान की गयी: • रीडर भत्ता 742 CWSN को छह महीने के लिए 660 रुपये की दर से • अनुरक्षण भत्ता 2358 CWSN के लिए 6 महीने तक 1500 रुपये की दर से • चिकित्सीय भत्ता 10 महीने के लिए 2000 रुपये की दर से 2506 CWSN को • परिवहन भत्ता 2321 CWSN को 6 महीने के लिए 1200 रुपये की दर से • लड़कियों के लिए वजीफा 7537 CWSN को 10 महीने तक 2000 रुपये की दर से। • 11602 CWSN को 600 रुपये की दर से प्रतिवर्ष टॉप-अप स्कॉलरशिप।

V
शिक्षा निदेशालय

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
10	खेल और उत्थान – खेलों में उत्कृष्टता के लिए स्कूली छात्रों को वित्तीय सहायता ब. अ. 2021-22: 15 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 0.57 करोड़ रुपये	• शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों के निम्नलिखित पात्र छात्रों को प्रशिक्षण और कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई गयी: १) वह डीएसएसए की दिल्ली राज्य रैंकिंग शीर्ष 8 में स्थान रखता हो या २) वह उस राज्य टीम का सदस्य हो जो कम से कम भारत सरकार के युवा मामले मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त फेडरेशन/संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में सेमी फाइनल तक पहुंची/पहुंचा हो ३) जिसने राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर अपनी आयु वर्ग में असाधरण प्रदर्शन किया हो। • 14 वर्ष तक तथा 14 से 17 आयु वर्ग के अंतर्गत विद्यलायी छात्रों को वित्तीय सहायता।	• 14 आयु वर्ग के अंतर्गत 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता • 14 से 17 वर्ष की आयु के मध्य के छात्रों को यात्रा, किट, उपकरण, आहार, चिकित्सा सुविधा इत्यादि की लागत के लिए 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष	2019-20: 307 खिलाड़ी 2020-21: शून्य*

* कोविड-19 के कारण स्कूल बंद थे जिसके कारण योजनाओं को लागू नहीं किया जा सका।

VI
उच्च शिक्षा निदेशालय

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
1	दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना ब. अ. 2021-22: 0.01 करोड़ रुपये (ट्रस्ट योजना) व्यय. 2020-21: 0.10 करोड़ रुपये	• दिल्ली से दसवीं और/बारहवीं पास करने वाले तथा एनएएसी/एनबीए-ए+ ग्रेडिंग रखने वाले छात्रों को दिल्ली में स्थित सरकारी और निजी/स्ववित्तपोषित संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है । • इस योजना का लाभ उन छात्रों को भी दिया गया है जिन्होंने दिल्ली से दसवीं और/या बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की है और दिल्ली के बाहर स्थित सरकारी विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान (भारत के भीतर) से उच्च शिक्षा जारी रखते हो।	• सदस्य बैंकों के माध्यम से 10 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण प्रदान किया गया है (दिल्ली में स्थित)	2019-20: 18 छात्रों को 73.39 लाख रुपये की राशि शिक्षा ऋण के रूप में दी गई थी। 2020-21: 03 छात्रों को शिक्षा ऋण दिया गया
2	मेरिट – सह साधन से जुडी वित्तीय सहायता योजना ब. अ. 2021-22: (ट्रस्ट स्कीम) व्यय. 2020-21: ('दिल्ली उच्च शिक्षा सहायता ट्रस्ट' से सहायता दी जाती है)	• श्रेणी-1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी परिवारों के छात्रों और योजना के तहत जारी कार्ड को रखने वाले एवं कुल प्रतिशत का 60% योग्यता प्राप्त करने वाले । • श्रेणी-2 श्रेणी 1 के अंतर्गत ना आने वाले छात्र परन्तु जिनकी पारिवारिक प्रतिवर्ष आय 2.5 लाख तक है और कुल प्रतिशत का 60% की योग्यता रखने वाले • श्रेणी-3 वे छात्र जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक है परन्तु 6 लाख तक है और कुल प्रतिशत का 60% की योग्यता रखने वाले	• श्रेणी-1: 100% ट्यूशन फीस • श्रेणी-2: 50% ट्यूशन फीस • श्रेणी-3: 25% ट्यूशन फीस	2019-20: 3760 छात्रों को 24.01 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई 2020-21: कुल 6927 आवेदनों में से प्राप्त 3073 आवेदनों को स्वीकृति दी गई है

VII
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
1	एससी/एसटी छात्रों के लिए कल्याण कार्यक्रम – एससीएसपी (एससी/एसटी छात्रों के लिए कोचिंग सह मार्गदर्शन योजना) ब. अ. 2021-22: 0.61 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 0.44 करोड़ रुपये	• एससी/एसटी समुदाय के छात्रों के लिए • अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप पढ़ने वाले दसवीं पास छात्र या समकक्ष।	• सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी की कोचिंग सहित टाइपिंग और स्टेनोग्राफी (अंग्रेजी) का निःशुल्क प्रशिक्षण। • प्रशिक्षुओं को स्टेशनरी निःशुल्क प्रदान करना • प्रशिक्षुओं को विशेष व्याख्यान की व्यवस्था करके व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना।	2019-20: 42 2020-21: 42
2	तकनीकी शिक्षा समुदाय आउटरीच स्कीम ब. अ. 2021-22: 0.60 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 0.04 करोड़ रुपये	• दिल्ली के स्लम/जेजे क्लस्टर/ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वंचित व्यक्ति। प्रशिक्षण कार्यक्रम सूचीबद्ध संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से आयोजित किया जाता है।	• विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे–सिलाई,कटिंग, ड्रेस मेकिंग, हॉस्पिटैलिटी, कंप्यूटर फंडामेंटल, रिटेल में सेल्समैन–शिप, मोबाइल रिपेयरिंग, प्रिंटिंग आदि।	2019-20: 700 2020-21: 600
3	दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित छात्रवृत्ति योजनाएं ब. अ. 2021-22: 2.14 करोड़ रुपये; व्यय 2020-21: 1.37 करोड़ रुपये			
I	मेरिट स्कॉलरशिप	• आईटीआई/पॉलिटेक्निक/डीएसईयू के उन छात्रों के लिए जिन्होंने पिछले वर्ष परीक्षा में 80% और उससे अधिक अंक हासिल किए हैं • माता–पिता की आय की कोई सीमा नहीं	• 950/- रुपये प्रतिमाह	2019-20: 815 2020-21: 808
II	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए मेरिट – सह–साधन छात्रवृत्ति	• आईटीआई/पॉलिटेक्निक/डीएसईयू के उन छात्रों के लिए जिन्होंने पिछले वर्ष परीक्षा में 70% और उससे अधिक अंक हासिल किए हैं • जिन छात्रों के परिवार में माता–पिता की आय 2 लाख रुपये से कम है	• डे स्कॉलर्स के लिए 700/- रुपए प्रतिमाह • होस्टलर्स के लिए 1,025 /- रुपये प्रतिमाह	2019-20: 565 2020-21: 678

VIII
उद्योग विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
1	राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना (आरजीएसआरवाई) ब. अ. 2021-22: 1.25 करोड़ व्यय.2020-21 0.31 करोड़	i) सभी वाणिज्यिक पेशेवर ii) लघु औद्योगिक इकाइयां दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड-राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना के पूर्वावलोकन के तहत बजट की सीमा के भीतर ऋण की वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगें। लघु औद्योगिक उपक्रम में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा लघु इकाइयों के लिए संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों का कुल निवेश निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए और यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर स्थित होना चाहिए। ii) बिना किसी प्रशिक्षण के सरकार के किसी भी मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यवसायिक संस्थान और उसके स्वायत्त/उपक्रम निकायों से उत्तीर्ण उम्मीदवार • आयु सीमा: 18 वर्ष से 50 वर्ष। • निम्नलिखित में से कोई भी इस योजना के तहत ऋण ले सकता है:- (क)18 वर्ष से अधिक आयु के स्कूल/कॉलेज छोड़ने वाले छात्र। (ख) व्यक्तिगत उद्यमी (ग) व्यापारिक पेशेवर, (घ) कारीगर	• ऋण के रूप में 3.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और परियोजना लागत का 15% सब्सिडी • प्रति उद्यमी 7500 रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन	2019-20: पुरानी 13 नई 05 कुल 18 वितरित अनुदान राशि: 1.12 लाख ऋण: 23.09 लाख 2020-21: पुरानी 3 नई 12 कुल 15 वितरित अनुदान राशि: 0.90 लाख ऋण: 32.94 लाख

VIII
उद्योग विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
2	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) (लक्ष्य 2021-22) दिल्ली के लिए संभावित लक्ष्य (केवीआईसी सहित) परियोजनाओं की संख्या = 96 मार्जिन राशि 287.45 लाख रुपये	1) 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति 2) पीएमईजीपी के तहत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सहायता हेतु कोई आय सीमा नहीं 3) यदि परियोजनाओं की लागत विनिर्माण क्षेत्र में 10.00 लाख से अधिक है और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5.00 लाख रुपये से अधिक है, तो लाभार्थी की मानक शैक्षिक योग्यता कम से कम आठवीं पास होनी चाहिए। 4) पीएमईजीपी के तहत स्वयं सहायता समूह (बीपीएल से संबंधित वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जो यह सूचना उपलब्ध कराते हैं कि उन्होंने किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं लिया है) भी सहायता के लिए पात्र हैं । 5) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान। 6) उत्पादन सहकारी समितियां। 7) चैरिटेबल ट्रस्ट। 8) वर्तमान सफल पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों के विस्तार के लिए पीएमईजीपी के तहत दूसरी वित्तीय सहायता।	1) विनिर्माण क्षेत्र के तहत परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 25.00 लाख रुपये स्वीकार्य है। 2) व्यापार/सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 10.00 लाख रुपये स्वीकार्य है। 3) नए सूक्ष्म उद्यम (इकाइयों) की स्थापना के लिए सब्सिडी की दर (परियोजनाओं की लागत) i) सामान्य श्रेणी: • शहरी: 15% • ग्रामीण: 25% ii) विशेष (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि सहित। • शहरी: 25% • ग्रामीण: 35% 4) कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।	2019-20: 92 (वितरित मार्जिन राशि 108.79 लाख रुपये) 2020-21: 72 (वितरित मार्जिन राशि 145.61 लाख रुपये)

IX
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राशन की केवल कमीशन एवं परिवहन लागत का भुगतान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है	जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है और जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते है ,उन परिवारों को प्राथमिकता घरेलु श्रेणी/अन्तोदय अन्न योजना के तहत समाविष्ट करने के लिए पात्र समझा जायेगा जैसी भी स्थिति हो (क) भौगोलिक, सामाजिक और व्यावसायिक रूप से कमजोर वर्ग (i) मलिन बस्तियों के निवासी। (ii) एफ, जी और एच श्रेणियों के पुनर्वास कॉलोनी के निवासी। (iii) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिसूचित अबादी के निवासी। (iv) आश्रयहीन, (v) ट्रांसजेंडर्स (vi) दिव्यांग व्यक्तियों के परिवार। (दिव्यांग अधिनियम 1995 में यथा परिभाषित है) निर्धारित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर। (vii) एकल महिलाएं (विधवाओं, अविवाहित और तलाकशुदा, परित्यक्ता सहित) जो परिवार में आश्रित या मुखिया के रूप में रह रही हैं। (viii) बिना सुरक्षा के रहने वाले बच्चे। (ix) व्यावसायिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे कचरा बीनने वाले, अकुशल निर्माण कामगार, कुली, आकस्मिक दिहाड़ी मजदूर,आकस्मिक घरेलू कामगार, साइकिल रिक्शा चालक, लघु घरेलू उद्यमों में अकुशल कामगार, घरेलू उद्योगों में अकुशल कामगार	निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ रियायती दरों पर (एसएफए): गेहूं: एएवाई-25 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह 2 रुपये प्रति किलो की दर से। पीआर-4 प्रति सदस्य प्रति माह 2 रुपये प्रति किलो की दर से। चावल: एएवाई-10 किलो प्रति कार्ड प्रति माह 3 रुपये प्रति किलो की दर से। पीआर-१ किलो प्रति सदस्य प्रति माह 3 रुपये प्रति किलो की दर से। चीनी: एएवाई-1 किलो प्रति कार्ड प्रति माह 13.50 रुपये प्रति किलो की दर से।	2019-20: एएवाई लाभार्थियों की संख्या: 2,78,944 पीआर लाभार्थियों की संख्या: 68,29,284 2020-21: एएवाई लाभार्थियों की संख्या: 2,81,039 पीआर लाभार्थियों की संख्या: 69,96,956
		(ख) अन्य परिवार : अन्य परिवार जिनकी वार्षिक आय १ लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है। पैरा-क (ऊपर) में नौ श्रेणियों के आवेदकों को आय प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनकी आय और व्यवसाय के संबंध में स्व-प्रमाणन क्षेत्रीय सत्यापन के अधीन पर्याप्त होगा। इसी तरह आश्रयहीन, एकल महिलाएं, बिना सुरक्षा के रहने वाले बच्चे,व्यावसायिक रूप से कमजोर समूह का स्वप्रमाणन स्वीकार्य हो जाएगा अधिसूचित गांव के निवासियों के मामले में, राजस्व अधिकारियों से प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।		

X
स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
1	एड्स/एचआईवी से प्रभावित/संक्रमित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता ब. अ. 2021-22: 18.50 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 15 करोड़ रुपये	• एचआईवी/एड्स से प्रभावित पात्र व्यक्तियों को वित्तीय सहायता • लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। • पिछले 3 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए। • दिल्ली में किसी भी ए.आर.टी. केंद्र में नियमित एंटी रेट्रोवायरल उपचार (ए.आर.टी.) होना चाहिए।	• पात्र पीएलएचए को वित्तीय सहायता 2,200 रुपये प्रति माह की दर से प्रदान की जाएगी दिनांक (07/08/2020से)।	2019-20: 4,299 2020-21: 5,257 5,257 लाभार्थियों में से 290 की मृत्यु हो गई, 102 पलायन/दूसरे राज्य में स्थानांतरण, 120 एलएसयू का दर्जा होने के कारण अपात्र पाए गए, 12 प्रभावित बच्चों की आयु पूरी होने के कारण पात्र नहीं पाए गए और वर्ष के अंत में 4,733 लाभार्थी इस योजना में सक्रिय थे।
2	एचआईवी/एड्स से संक्रमित या प्रभावित अनाथ/बेसहारा बच्चों को वित्तीय सहायता ब. अ. 2021-22: व्यय. 2020-21: पिछली योजना का हिस्सा	• माता-पिता दोनों मर चुके हैं। • माता-पिता में से एक की मृत्यु एचआईवी/एड्स के कारण हुई हो। • एचआईवी/एड्स के कारण माता-पिता की मृत्यु का प्रमाण एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र (आईसीटीसी)/एआरटी केन्द्रों से पता लगाया जाएगा। • एचआईवी/एड्स से संक्रमित बच्चों के प्रमाण की जांच आईसीटीसी/एआरटी केंद्रों से की जाएगी । • पात्र अनाथ बच्चे दादा दादी/करीबी रिश्तेदारों (विस्तारित परिवार) या संस्थागत देखभाल में रह सकते हैं।	• अनाथ एचआईवी/एड्स से संक्रमित बच्चों को वित्तीय सहायता: (आयु: 0-18 वर्ष) 4,510/- रुपये प्रति माह प्रदान की जाएगी दिनांक (07/08/2020) से। • अनाथ एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चों को (आयु: 0-18 वर्ष) 3,850/- रुपये प्रति माह प्रदान की जाएगी दिनांक (07/08/2020) से।	

X
स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
3	मोबाइल स्वास्थ्य योजना (एमएचएस) ब. अ. 2021-22: 23.34 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 14.93 करोड़ रुपये स्थापना (वित्त)) के तहत कवर किया गया	• जेजे क्लस्टरों/अनारक्षित क्षेत्रों/के निवासी, निर्माण स्थलों, रैन बसेरों आदि के निवासी।	• एमएचएस जेजे क्लस्टरों/ अनारक्षित क्षेत्रों/निर्माण स्थलों, रैन बसेरे आदि में रहने वाले लोगों को उनके दरवाजे पर नियमित रूप से बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है लेकिन सारणी के अनुसार सभी क्षेत्र सप्ताह में कम से कम दो बार कवर होते हैं • एमएचएस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने में मदद करता है • एमएचएस विशेष आयोजनों में जैसे किसी भी राष्ट्रीय दिवस/राष्ट्रीय नेताओं के जन्म समारोह आदि, एनसीसी/अन्य शिविर, स्वास्थ्य मेले, किसी भी प्रकार की अन्य सभा जैसे किसान विरोध स्थल आदि में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं भी प्रदान करता है ।	2019-2020: के दौरान मोबाइल स्वास्थ्य टीम द्वारा देखे गए मरीजों की संख्या 1,91,349 नए मरीज: 1,08,003 पुराने मरीज: 83,346 2020-21: के दौरान मोबाइल स्वास्थ्य टीम द्वारा देखे गए मरीजों की संख्या: 1,46,171 नए मरीज: 84,166 पुराने मरीज: 62,005
4	दिल्ली आरोग्य कोष: ब. अ. 2021-22: 100 करोड़ रुपये; जारी की गई राशि, 2020-21: 50 करोड़ रुपये			
I	फरिश्ते योजना	• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सड़क यातायात दुर्घटना/ एसिड अटैक/थर्मल बर्निंग • मदद करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा और वे पुलिस द्वारा किसी भी सवाल के लिए उत्तरदायी नहीं होगा	• उपचार करने वाले अस्पतालों को प्रतिपूर्ति • मदद करने वाले व्यक्ति को 2,000 रुपये	2019-20: 4,299 2020-21: 6,233

X
स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
II	रोगियों के लिए निःशुल्क उच्च अंत नैदानिक योजना	• सरकारी अस्पतालों/पॉलीक्लीनिको/मोहल्ला क्लीनिको/दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियों द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों को दिल्ली के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर चिन्हित होने पर निःशुल्क उच्च अंत नैदानिक योजना	• सूचीबद्ध नैदानिक केन्द्रों को प्रतिपूर्ति	2019-20: 78,867 2020-21: 56,758
III	पात्र रोगियों को निःशुल्क सर्जरी	• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अस्पतालों द्वारा निर्दिष्ट किए गए निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में दिल्ली के निवास प्रमाण के आधार पर चिन्हित किये गए एक महीने से अधिक की प्रतीक्षा सूची वाले रोगियों को निःशुल्क सर्जरी की योजना	• सूचीबद्ध अस्पतालों को प्रतिपूर्ति	2019-20: 2,250 2020-21: 1,459
IV	पात्र रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस	• मतदाता सूची, आधार कार्ड/एनएफएस कार्ड को छोड़कर राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, क्षेत्र के एसडीएम द्वारा जारी कम से कम तीन साल पुराने मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर चिन्हित व्यक्तियों को • वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम।	• सूचीबद्ध अस्पतालों को प्रतिपूर्ति।	2019-20: 8,739 2020-21: 27,084
V	रोगियों को वित्तीय सहायता	• मतदाता सूची, आधार कार्ड/एनएफएस कार्ड को छोड़कर राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, क्षेत्र के एसडीएम द्वारा जारी कम से कम तीन साल पुराने मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर चिन्हित व्यक्तियों को • वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम।	• दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए सहायता 5 लाख रुपये तक प्रति मरीज	2019-20: 863 2020-21: 801

XI
विद्युत विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
1	डिस्कॉम के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी ब. अ. 2021-22: 3090 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 2939.99 करोड़ रुपये	• एक महीने में 200 यूनिट तक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली और 201 से 400 यूनिट तक महीने में खपत के लिए 800 रुपये • कृषि कनेक्शन पर प्रति माह 105 रुपये प्रति किलोवाट के फिक्स्ड चार्जेज की सब्सिडी मिलेगी। • एक महीने में 1984 सिख दंगा पीड़ितों को 400 यूनिट तक 100 फीसदी सब्सिडी। • घरेलू उपभोक्ताओं के समान मापदंड पर कोर्ट परिसर के भीतर वकीलों के कक्षों को बिजली सब्सिडी।		2019-20: 46.49 लाख उपभोक्ता 2020-21: 47.52 लाख उपभोक्ता

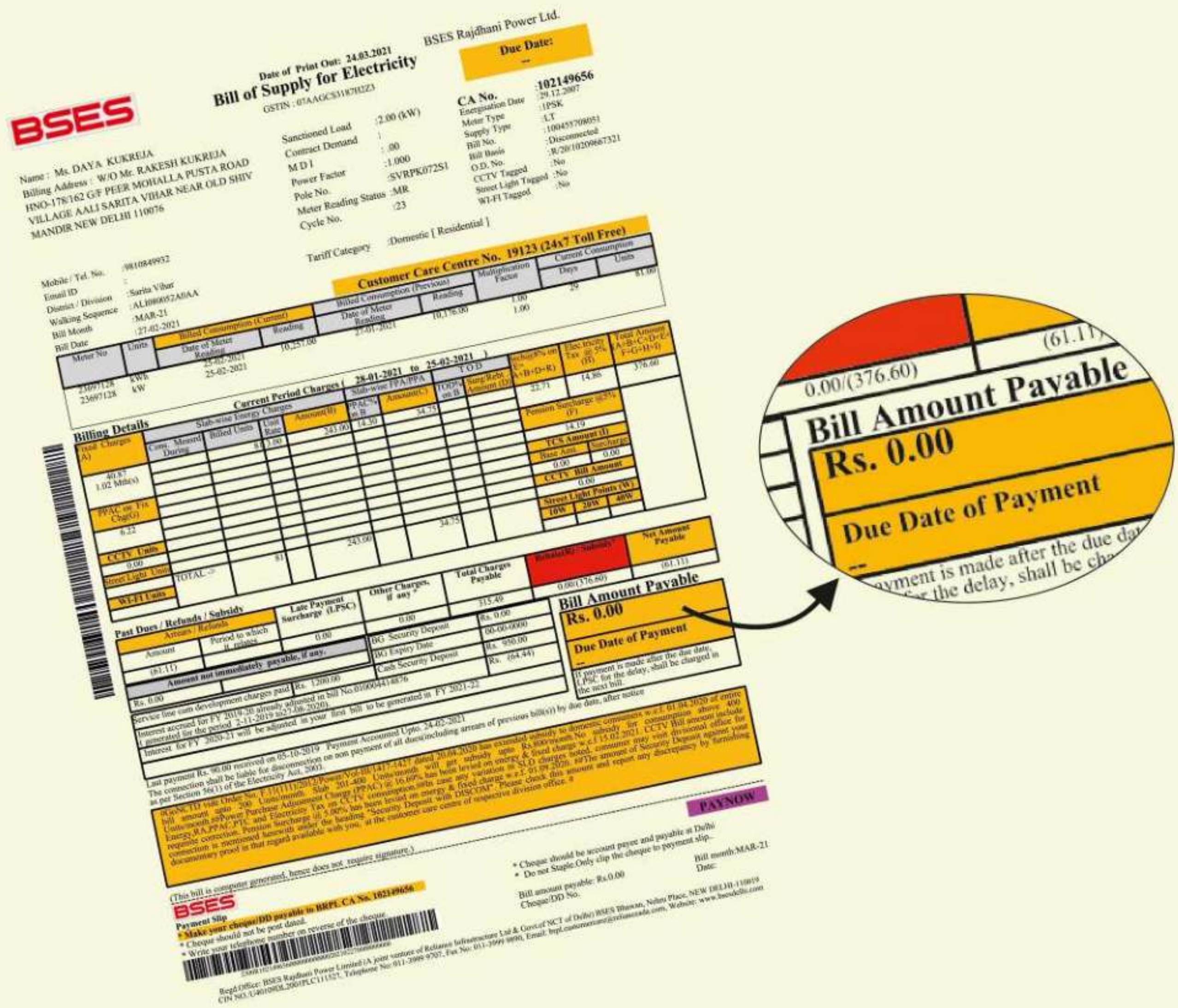

XII
शहरी विकास विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
1	राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान (एनयूएलएम) – (सीएसएस) ब. अ. 2021-22: 4 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: शून्य	• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में परिभाषित शहरी गरीब • मापदंड: 1. पिछले 3 महीनों में वैध राशन कार्ड का लाभ उठाया गया 2. दिल्ली के राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जो 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय प्रमाणित करता है	1. ईएसटी एवं पी घटक के अंतर्गत शहरी गरीब लाभार्थियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण 2. एसई एवं पी घटक के अंतर्गत शहरी गरीब लाभार्थियों को व्यावसायिक ऋण व्यक्तिगत 2 लाख रुपये तक और समूह 10 लाख रुपये तक। 3. एसएम एवं आईडी घटक के अंतर्गत डे-एनयूएलएम के तहत एसएचजी को 10,000 रुपये का रिवाल्विंग फंड	2019-20: ईएसटीपी–179उम्मीदवार एसईपी–4 ऋण प्राप्तकर्ता एसएम आईडी–30 एसएचजी के अंतर्गत–333 लाभार्थी 2020-21: वित्तीय वर्ष 2020-21 में ईएसटीपी–1530 उम्मीदवार (लाभ लें रहे हैं) 270 उम्मीदवार (प्रमाणित) एसईपी–80 व्यक्तिगत ऋण वितरित किए गए; 20 व्यक्तिगत ऋण–बैंकों द्वारा स्वीकृत परंतु अभी तक वितरण किया जाना है। एसएचजी–187 का गठन किया जा चुका है। (1332 लाभार्थी)

XIII
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग

उर्दू अकादमी

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
1	लेखक/साहित्यकारों को उनकी पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता ब. अ. 2021-22: 0.08 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: शून्य	• ऐसे लेखकों के लिए जो वित्तीय संकटों के कारण अपनी रचनात्मक लेखन/लेख/कविताओं को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं विज्ञापन के माध्यम से पांडुलिपि मंगवाई जाएगी । पांडुलिपि प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञों को पुनरीक्षण के लिए बुलाया जायेगा और पुरुष्कृत करने से पूर्व उनकी सिफारिशों को उप सांस्कृतिक समिति एवं कार्यकारिणी समिति के समक्ष अंतिम अनुमोदन के लिए रखा जायेगा।	• 25,000/- रुपये या प्रकाशन की लागत का 85% जो भी कम हो	2019-20: 26 2020-21: (कोविड–19 के कारण) शून्य
2	वृद्ध उर्दू लेखकों/कवियों/पत्रकारों को मासिक वित्तीय सहायता ब. अ. 2021-22: 0.22 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 0.21 करोड़ रुपये	• जरूरतमंद लेखकों/कवियों/पत्रकारों आदि या उनके आश्रितों को जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और उर्दू भाषा, उर्दू अकादमी की सेवा में अपना जीवन समर्पित किये हो को, पुरुस्कार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उप समिति की सिफारिशों के अनुसार और कार्यकारी समिति के अनुमोदन पर वित्तीय सहायता	• प्रत्येक लेखक/कवि/पत्रकार आदि को प्रति माह 10,000 रुपये और आश्रितों को प्रत्येक माह 5,000 रुपये	2019-20: 23 2020-21: 22

XIII
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग

पंजाबी अकादमी

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
1	लेखकों/कलाकारों या उनके आश्रितों को पेंशन ब. अ. 2021-22: 0.032 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 0.032 करोड़ रुपये	• वृद्ध लेखक और उनके आश्रित जो दरिद्र परिस्थितियों में हैं और किसी भी स्रोत से उनकी आय 7,500/- प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है	• प्रति व्यक्ति 6,600 रुपये प्रति माह (ऑनलाइन लेनदेन)	2019-20: 5 2020-21: 4

साहित्य कला परिषद

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
1	वृद्ध कलाकारों को वित्तीय सहायता ब. अ. 2021-22: 0.15 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 0.051 करोड़ रुपये	• आवेदक दिल्ली का रहने वाला हो। • उम्र 58 साल से कम नहीं। • वह किसी अन्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करता हो • कला के क्षेत्र में उसका महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए • आय के सभी निजी श्रोतों से उसकी आय 4000 प्रतिमाह से अधिक न हो	• प्रति व्यक्ति 4,000 रुपये प्रति माह (ऑनलाइन लेनदेन)	2019-20: 10 2020-21: 10

XIV
दिल्ली जल बोर्ड

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
1	*दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी: ब. अ. 2021-22: 600 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 600 करोड़ रुपये	• प्रति माह 20 किलोलीटर तक पानी का उपभोग करना और फंक्शनल वाटर मीटर होना • 20 किलोलीटर तक पानी की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 100% सब्सिडी • सब्सिडी पाने के लिए उपभोक्ताओं के पास फंक्शनल वाटर मीटर होना चाहिए • पात्र उपभोक्ताओं को पानी के बिल के भुगतान से पूरी तरह छूट प्राप्त है, जिसमें पानी शुल्क, सीवरेज रखरखाव शुल्क, सेवा शुल्क, मीटर किराया आदि (जहां भी लागू हो) शामिल हैं।	• 20 किलोलीटर पानी तक की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 100% सब्सिडी	2019-20: 6.12 लाख 2020-21: 6.83 लाख
2	*मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना ब. अ. 2021-22: 1.00 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 110 करोड़ रुपये	• दिल्ली जल बोर्ड द्वारा घरों को मुफ्त सीवर कनेक्शन दिया गया है जिसके लिए दिल्ली जल बोर्ड को सब्सिडी दी जाती है	• घरों में मुफ्त सीवर कनेक्शन देने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को दी गई सब्सिडी	2019-20: शून्य नई योजना 2020-21: 13,839
3	जेजे क्लस्टर में जल – आपूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान ब. अ. 2021-22: 2.00 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 7.00 करोड़ रुपये	• नीति के अनुसार सभी 675 झुग्गी क्लस्टर में जल – आपूर्ति दी जानी है। • फिजिब्लिटी रिपोर्ट में पाया गया कि 364 जेजे क्लस्टरों में तकनीकी फिजिब्लिटी मौजूद है। नीति पर विचार किया जा रहा है	• जेजे क्लस्टरों में पाइप से पानी के नेटवर्क का विस्तार • पानी की आपूर्ति के लिए पानी के टैंकरों की संख्या में कमी हुयी है	2019-20: जेजे क्लस्टरों में 30,015 मीटर कनेक्शन दिए गए 2020-21: जेजे क्लस्टरों में 30,554 मीटर कनेक्शन दिए गए

* वित्त विभाग से स्थानांतरित

XV
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
1	भुगतान और उपयोग जनसुविधा परिसरों का निर्माण ब. अ. 2021-22: 80.00 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 69.50 करोड़ रुपये	• इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित स्लम क्षेत्रों में रहने वाले 9.51 लाख झुग्गी निवासियों और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करके 17 लाख झुग्गी निवासियों को कवर करता है।	• मूलरूप से झुग्गी–झोपड़ियों/स्लम झोपड़ियों में रहनेवालों के द्वारा खुले में बड़े पैमाने पर शौच के माध्यम से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं का ध्यान रखने का विचार है । • 2019-20 में 14 जनसुविधा परिसरों जिनमें 357 WC सीटों का निर्माण किया गया है और 2020-21 के दौरान मार्च 2021 तक 2 जनसुविधा परिसरों का निर्माण किया गया है जिनमें 103 सीटों का निर्माण किया गया है। • 2019-20 में 45 जनसुविधा परिसरों का पुनर्निर्माण/उन्नयन किया गया है जिसमें 2569 डब्ल्यूसी सीटें हैं और 2020-21 के दौरान मार्च 2021 तक 14 जनसुविधा परिसरों के पुनर्निर्माण/उन्नयन किया गया है जिसमें 438 WC सीटें हैं। • 2019-20 में 68 नए पोर्टेबल शौचालयों की व्यवस्था जहां पानी और सीवरेज की सुविधा नहीं है और 2020-21 के दौरान मार्च 2021 तक 12 नए पोर्टेबल शौचालयों की व्यवस्था जहां पानी और सीवरेज की सुविधा नहीं है	2019-20: 3,46,560 2020-21: 3,57,200
2	सामुदायिक हॉल/बस्ती विकास केंद्रों का निर्माण ब. अ. 2021-22: 7.00 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 4.00 करोड़ रुपये	• जेजे क्लस्टरों का हिस्सा	• समुदाय के लिए सामाजिक/धार्मिक आयोजन करने और अन्यन सेवाओं के वितरण के लिए जगह प्रदान करना • 8 बस्ती विकास केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है (2019-20) • आवश्यकता के आधार पर बस्ती विकास केंद्र /कम्युनिटी हॉल का पुनर्निर्माण/उन्नयन	उपलब्ध नहीं
3	शहरी स्लम क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार ब. अ. 2021-22: 20.00 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 20.00 करोड़ रुपये	• शहरी स्लम क्षेत्रों जिन्हें स्लम क्षेत्र (सुधार एवं निकासी) अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचित किया गया है। • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आदेशानुसार, जेजे क्लस्टरों की बड़ी संख्या जिसकी आबादी लगभग 17 लाख है।	• जेजे बस्तियों में आवश्यकतानुसार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सीसी फुटपाथ और नालियां लाभांवित परिवारो की संख्या	2019-20: 6,30,508 2020-21: 6,45,387

XV
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
4	आश्रय गृहों का संचालन और प्रबंधन। ब. अ. 2021-22: 30.00 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 21.00 करोड़ रुपये	• सभी निराश्रितों को पूरी दिल्ली में बनें 200 स्थायी आश्रय गृहों में शरण लेने की अनुमति है। सर्दी के मौसम में आवश्यकता के आधार पर वाटर प्रूफ टेंट की व्यवस्था की जा रही है।	• सभी निराश्रितों को पूरे वर्ष भर कंबल, गद्दे, तकिया, पानी, बिजली, फेस मास्क, सैनिटाइजर, लंच और डिनर की सुविधा निःशुल्क दी जाती है।	2019-20: 18,538 2020-21: 7000

XVI
राजस्व विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
1	एनडीए कैडेटों को वित्तीय सहायता/प्रशिक्षण भत्ता ब. अ. 2021-22: 0.15 करोड़ रुपये व्यय 2020-21: 0.05 करोड़ रुपये	• एनडीए प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चुना जाना चाहिए • उम्मीदवार भारतीय नागरिक और दिल्ली का सदाशयी अधिवासी होना चाहिए । • कैडेट योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति /वजीफे को छोड़कर भारत सरकार या अन्य प्राधिकरण से कोई अन्य वित्तीय सहायता/अनुदान प्राप्त न करता हो	• एनडीए प्रशिक्षण कार्यकाल के तीन वर्षों के लिए दिल्ली से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) कैडेट में से प्रत्येक को 2,000 रुपये प्रति माह का प्रशिक्षण अनुदान.	2019-20: 27 2020-21: 16
2	दिल्ली वक्फ बोर्ड ब. अ. 2021-22: 37.30 करोड़ रुपये; व्यय. 2020-21: शून्य			
(i)	इमामों/ मुअज्ज़िनों को वित्तीय सहायता	• मौजूदा इमाम और मुअज्ज़िन	• इमाम-18,000 रुपये प्रति माह और • मुअज्ज़िनों-16,000 रुपये प्रति माह	2019-20: 2,482 2020-21: 2,502
(ii)	विधवाओं को आर्थिक सहायता	• अल्पसंख्यक समुदाय की विधवाएं	• 2,500/- रुपये प्रति माह	2019-20: 551 2020-21: 288
4	दिल्ली हज कमेटी ब. अ. 2021-22: 2.7 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 1.7 करोड़ रुपये	• दिल्ली निवासी के लिए कोई मापदंड नहीं • आय का कोई मापदंड नहीं • केंद्रीय हज समिति से जुड़े हुए	• हज यात्रियों के लिए व्यवस्था: • हज यात्रियों के लिए आवास, प्रशिक्षण कार्यक्रम चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन सुविधा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आदि।	2019-20: 22,565 2020-21: शून्य

XVI
राजस्व विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
4	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना – सीएसएस ब. अ. 2021-22: 6.5 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: शून्य	• अल्पसंख्यक समुदाय • पहली से दसवीं कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्र । • पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक न प्राप्ते करने वाले छात्र । • माता–पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से कम या उसके बराबर।	• कक्षा छठी से दसवीं के लिए प्रवेश शुल्क: प्रतिवर्ष 500/- रुपये (होस्टलर और डे स्कॉलर दोनों के लिए) • कक्षा छठी से दसवीं के लिए ट्यूशन फीस:प्रतिमाह 350/- रुपये निर्वाह भत्ता कक्षा पहली से पांचवीं तक डे स्कॉलर के लिए प्रतिमाह 100/- रुपये कक्षा छठी से दसवीं:हॉस्टलर के लिए प्रतिमाह 600/- रुपये, डे स्कॉलर के लिए प्रतिमाह 100/- रुपये ▪ एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए ।	2019-20: 4,927 2020-21: शून्य
5	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति योजना – सीएसएस ब. अ. 2021-22: शून्य व्यय. 2020-21: शून्य	• अल्पसंख्यक समुदाय • कक्षा 11वीं से पीएचडी तक का अध्यकयन करने वाले छात्र। • पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक न प्राप्त करने वाले छात्र। • माता–पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से कम या उसके बराबर।	• कक्षा 11 से 12वीं के लिए प्रवेश शुल्क और ट्यूशन फीस: प्रतिवर्ष 7000/- रुपये,(होस्टलर और डे स्कॉलर दोनों के लिए) • तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुल्क और ट्यूशन फीस: प्रतिवर्ष 10000/- रुपये (होस्टलर और डे स्कॉलर दोनों के लिए) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुल्क और ट्यूशन फीस: प्रतिवर्ष 3000/- रुपये निर्वाह भत्ता: • तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्य–क्रमों सहित कक्षा ग्यारहवीं,बारहवीं में होस्टलरों के लिए प्रतिमाह 380/- रुपये और डे स्कॉलर के लिए प्रतिमाह 230/- रुपये • स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए–होस्टलर्स के लिए प्रतिमाह 570/- रुपये और डे स्कॉलर के लिए प्रतिमाह 300/- रुपये • एम.फिल और पीएचडी के लिए–होस्टलरों के लिए प्रतिमाह 1200 रुपये और डे स्कॉलर के लिए प्रतिमाह 550 रुपये	2019-20: 27 2020-21: शून्य

XVI
राजस्व विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या
6	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मेरिट–कम–मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजना – सीएसएस ब. अ. 2021-22: 0.04 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: शून्य	• अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र। • पिछली अंतिम परीक्षा में 50% अंक से अधिक या बराबर अथवा समकक्ष ग्रेड। • माता–पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम या उसके बराबर।	• छात्रवृत्ति की दर–पाठ्य–क्रम शुल्क : प्रतिवर्ष 20,000/- रुपये निर्वाह भत्ता: • हॉस्टलर के लिए प्रतिमाह 1,000/- रुपये *डे स्कॉलर के लिए प्रतिमाह 500/- रुपये* • (*एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए) • 85 सूचीबद्ध संस्थानों के लिए पूर्ण पाठ्यक्रम प्रतिपूर्ति शुल्क	2019-20: 380 2020-21: शून्य
7	मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा ब. अ. 2021-22: 15 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: शून्य	• जिस वर्ष में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, उस वर्ष में 1 जनवरी को 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। • दिल्ली का निवासी होना आवश्यक है। • पात्र व्यक्ति द्वारा संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार ही लाभ उठाया जा सकता है। • आय का कोई मापदंड नहीं।	• पात्र वरिष्ठ नागरिकों द्वारा डीटीटीडीसी के माध्यम से विभिन्न धार्मिक यात्राओं के आयोजनकर्ताओं को वित्तीय सहायता • एक वर्ष में दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1,100 लाभार्थी। • अनुमानित वित्तीय निहितार्थ – प्रति व्यक्ति 7000 रुपये	2019-20: 45,000 तीर्थयात्री 2020-21: शून्य
8	विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के लिए सेवाएं ब. अ. 2021-22: 28 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 0.37 करोड़ रुपये	• इस योजना का उद्देश्य विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने वाले जैसे– उर्स मेला, कैलाश मानसरोवर यात्रा, कांवड़ यात्रा, गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, छठ पूजा, फूल वालों की सैर, मकर सक्रांति/पोंगल/उत्तरायण में आने वाले/भाग लेने वाले व्यक्तियों/श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएँ एवं व्यवस्था उपलब्ध कराना है।	• राजस्व विभाग की जिम्मेदारियों में निहित है– टेंट, बिजली के सामान, खानपान, समारोह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरे लगाना और किसी भी अन्य आकस्मिक आवश्यकतओं की समस्त आवश्यक व्यवस्था करना।	2019-20: 110 लाख प्रतिभागी (लगभग) 2020-21: शून्य

XVII
परिवहन विभाग

क्रम सं	योजना का नाम (बजट एवं व्यय)	पात्रता मानदंड	सहायता राशि (नकद/अन्य प्रकार)	लाभार्थियों की संख्या 2019-20	लाभार्थियों की संख्या 2020-21
1	रियायती पास के लिए डीटीसी को सब्सिडी ब. अ. 2021-22: 80 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 78.82 करोड़ रुपये	• दिल्ली के सभी सरकारी अनुमोदित संस्थानों के छात्र को रियायती पास	• छात्र को जारी पास पर रियायती दर 100 रुपये प्रतिमाह	208454	14383
		• 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को (सभी जी.एल.एस मार्ग) रियायती पास	• जीएलएस के सभी रूट के लिए जारी पास पर रियायती दर गैर–वातानुकूलित बसों के लिए 50 रुपये प्रतिमाह और वातानुकूलित बसों के लिए 150 रुपये प्रतिमाह	1151425	136510
		• एएवाई/पीआर–एस।	• जीएलएस के सभी रूट के लिए गैर–वातानुकूलित बसों के लिए 500 रुपए प्रतिमाह की दर से पास जारी करना	62405	21650
		• दिव्यांग/असक्षम	• निःशुल्क	23730	19842
		• शहीदों की विधवाओं और उनके आश्रितों को।	• निःशुल्क	5	-
2	महिला यात्रियों के लिए डीटीसी को सब्सिडी ब. अ. 2021-22: 250 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 114.86 करोड़ रुपये	• सभी महिला यात्रियों को डीटीसी और क्लस्टर बसों की वातानुकूलित और गैर–वातानुकूलित बस सेवा में यात्रा के लिए यात्रा पास।	• सभी महिला यात्रियों को दिल्ली के भीतर बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा	2019-20: 10.58 करोड़ महिला यात्री	2020-21: 9.28 करोड़ महिला यात्री
3	महिला यात्रियों के लिए क्लस्टर बसों को सब्सिडी ब. अ. 2021-22: 236 करोड़ रुपये व्यय. 2020-21: 102.18 करोड़ रुपये		• (दिल्ली सरकार ने डीटीसी/क्लस्टर बसों में महिला यात्रियों को जारी किए गए प्रत्येक गुलाबी पास पर 10 रुपये की प्रतिपूर्ति की है	2019-20: 7.21 करोड़ महिला यात्री	2020-21: 8.84 करोड़ महिला यात्री

दिल्ली सरकार
आप की सरकार

योजना विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार